न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः— 87 / 2020 / 223 (2020 / 00087)

1. सांवरा पुत्र रामलाल, जाति जाट, निवासी ताजपुरा, तहसील नसीराबाद, जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. भू—प्रबंध अधिकारी, अजमेर, तहसील व जिला अजमेर ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, सरवाड़, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़ दिनांक 16.12.2019 अंतर्गत वाद संख्या 84 / 2019.

उपस्थितः—

1. श्री निर्मल कुमार जैन, वकील अपीलांट ।
2. श्री धर्मवीर चौधरी, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो0 संख्या 1 व 2.

निर्णय

दिनांकः— 01.03.2021

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़ के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.12.2019 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है ।
2. वादी / अपीलांट ने अधी0न्याया0 के समक्ष राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88, 188, 209 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम भगवानपुरा तहसील सरवाड़ की सरहद में खाता संख्या 105—106 खसरा नंबर 527 रकबा 0.81 है0 किस्म बीड़ आराजी अवस्थित है । उक्त आराजी पर वादी का निर्बाध एवं निरन्तर कब्जा चला आ रहा है । वाद वर्णित आराजी खसरा नंबर 449 / 4 इमरोज आवंटन से नाप चोप कर खसरा नंबर 449 / 4 आवंटनशुदा श्मशान के लगवा आवंटन कर कब्जा सुपुर्द किया गया था तब से लेकर वादी निरन्तर काबिज चला आ रहा है परन्तु वादी को बिना सूचित किये उक्त आराजी खसरा नंबर को भू—प्रबधं विभाग ने बिना कोई उचित आधार के राजस्व नक्शा में खसरा नंबर 522 / 1028 अलग तरमीम कर दिया जिससे आराजियात का स्वरूप ही बदल गया है । वाद वर्णित आराजी खसरा नंबर 527 को बिना किसी आधार के प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा चारागाह में इंद्राज कर दिया गया

जबकि भू–प्रबंध विभाग को किसी भी कानून या नियम के तहत ऐसा करने का अधिकार नहीं है जिससे उक्त इंद्राज 527 को दुरूस्त किया जाकर वादी के नाम इंद्राज किये जाने का निवेदन किया । साथ ही अप्रार्थीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करने का निवेदन किया । अधी0न्याया0 ने निर्णय व डिक्री दिनांक 16.12.2019 द्वारा वादी/अपीलांट का वाद निरस्त कर दिया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असुंष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । वादी के द्वारा वादपत्र के साथ राजस्व अभिलेख प्रस्तुत कर निवेदन किया किया था वादी के द्वारा वादपत्र में वर्णितानुसार वर्तमान खसरा नंबर 522/1028 जिसे चारागाह एवं वर्तमान खसरा नंबर 527 रकबा 0.81 है0 ग्राम ताजपुरा को वर्तमान जमाबंदी मे वादी एवं वर्तमान राजस्व नक्शे में दुरूस्त किया जावे परन्तु अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों को नजरअंदाज कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है । अधी0न्याया0 के समक्ष प्रतिवादी संख्या 2 के द्वारा जवाबदावा भी प्रस्तुत किया गया परन्तु अधी0न्याया0 द्वारा वादपत्र में विवाद बिन्दु ही कायम नहीं किये गये, विधिक प्रावधानों अनुसार विवाद बिन्दु कायम किया जकार विवाद बिन्दुओं का ही निर्णय किया जाना विधिक प्रावधान है परन्तु अधी0न्याया0 के द्वारा वादपत्र में बिना विवाद बिन्दु कायम किये जो निर्णय पारित किया गया है वह प्रथमदृष्टया ही अधी0न्याया0 द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री निरस्त किये जाने योग्य है । वर्किंग खसरा नंबर 449 रकबा 5 बीघा की भूमि ग्राम ताजपुरा, तहसील सरवाड़ स्थित भूमि जो कि वादी की खातेदारी की भूमि से लगती हुई है जिस पर वादी का कदीमी काल से कब्जा काश्त काश्त चला आया है, के अनुसार आवंटन अधिकारी के द्वारा दिनांक 8.2.2008 को वादी के पक्ष में नियमन आदेश पारित किए गए, नियमन आदेश की पालना में वादी के पक्ष में गैर खातेदारी का नामांतकरण स्वीकृत किया जाकर जमाबंदी में इंद्राज दर्ज किया गया तद्नूकूल गैर खातेदारी के स्थान पर खातेदारी अधिकार के स्थान पर खातेदारी दर्ज की गई है । ग्राम ताजपुरा से इरनिया जाने वाला रास्ता के वर्तमान खसरा नंबर 663 के उत्तर पूर्व में वर्किंग खसरा नंबर 449 मिन रकबा 5 बीघा की भूमि को आवंटन अधिकारी के द्वारा वादी के पक्ष में दिनांक 8.2.2008 को नियमन की गई तथा नियमन आदेश के अनुसार संवत् 2027 के राजस्व नक्शे में भी वादी के पक्ष में की गई नियमन भूमि की लाल स्याही से तरमीम की गई जो कि खसरा नंबर 449/4 की गई। इस प्रकार वादी के पक्ष में नियमन की गई भूमि की सीमाएं राजस्व नक्शा संवत् 2027 के अनुसार पूर्व में नाला वर्किंग खसरा नंबर 555 जिसके वर्तमान खसरा नंबर 511 पश्चिम में पाल वर्किंग खसरा नंबर 459 मिन के वर्तमान खसरा नंबर 529 के बाद खेत वर्किंग खसरा नंबर 458 के वर्तमान खसरा नंबर 530 कालूराम पुत्र रामदयाल खाती का पाल व खेत तथा उत्तर में वर्किंग खसरा नंबर 449 मिन के वर्तमान खसरा नंबर 512 अपीलांट की खातेदारी का खेत तथा दक्षिण में रास्ता वर्तमान खसरा नंबर 663 बाद श्मशान स्थल वर्किंग खसरा नंबर 449 मिन के वर्तमान खसरा नंबर 662 तथा शेष भूमि वर्तमान खसरा नंबर 662 की इस प्रकार उपरोक्त सीमाओं के मध्य स्थित भूमि ही जो कि वर्किंग खसरा नंबर 449 का भाग रकबा 5 बीघा की भूमि ही नियमन की गई थी तथा नियमन से

पूर्व भी वादी/अपीलांट का अपीलाधीन भूमि पर कदीमी समय से कब्जा काश्त चला आया है । वर्तमान में भी वादी के द्वारा फसल काश्त की गई है तथा वादी के द्वारा अपीलाधीन भूमि पर भारी सुधार, विकास, श्रम, खर्च कर मौके पर नाडी व फार्म पोण्ड का निर्माण भी करवा रखा है परन्तु वर्तमान राजस्व नक्शे में वादी/अपीलांट का अपीलाधीन भूमि जो कि वर्किंग खसरा नंबर 449 का भाग है, के वर्तमान खसरा नंबर 527 को वर्तमान जमाबंदी में उक्त अभिकथन के प्रतिकूल चारागाह गलत दर्ज की गई तथा वर्तमान राजस्व नक्शे में अपीलांट की नियमनशुदा भूमि जो कि वर्तमान खसरा नंबर 527 जो कि वर्तमान खसरा नंबर 662 श्मशान से लगती हुई है कि जिसे वर्तमान नक्शे में भी गलत तरमीम की गई जबकि वर्तमान खसरा नंबर 522/1028 जो कि वर्तमान जमाबंदी में वादी के नाम दर्ज किया गया एवं वर्तमान नक्शे में भी गलत तरमीम की गई जबकि वर्तमान खसरा नंबर 522/1028 जिसे वर्तमान जमाबंदी में चारागाह भूमि दर्ज किया जाना एवं वर्किंग खसरा नंबर 449 का भाग रकबा 5 बीघा जो वादी को नियमन की गई के वर्तमान खसरा नंबर 527 रकबा 0.81 है0 की भूमि को वर्तमान जमाबंदी में वादी के नाम इंद्राज दुरूस्ती एवं राजस्व नक्शा संवत् 2027 के अनुकूल वर्तमान राजस्व नक्शे में वर्तमान खसरा नंबर 522/1028 के स्थान पर वर्तमान खसरा नंबर 527 की तरमीम एवं वर्तमान खसरा नंबर 527 के स्थान पर वर्तमान खसरा नंबर 522/1028 की तरमीम दुरूस्ती हेतु वाद पेश किया था । प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा भी प्रस्तुत जवाब दावा के अनुसार इंद्राज दुरूस्ती एवं राजस्व नक्शे में तरमीम किये जाने के संदर्भ में जवाब दावा प्रस्तुत किया । पटवारी हल्का व गिरदावर हल्का के द्वारा तहसीलदार सरवाड़ के आदेश अनुसार दिनांक 11.12.2019 की मौका जांच रिपोर्ट जिसमें यह अंकित किया कि भू–प्रबंध विभाग, अजमेर के द्वारा वर्तमान राजस्व नक्शे में एवं वर्तमान जमाबंदी में जो इंद्राज किया गया है वह गलत है जबकि वर्तमान खसरा नंबर 527 के स्थान पर वर्तमान खसरा नंबर 522/1028 तथा वर्तमान खसरा नंबर 522/1028 के स्थान पर वर्तमान खसरा नंबर 527 की दुरूस्ती एवं इसी अनुसार राजस्व नक्शे में भी तरमीम की दुरूस्ती किया जाना वांछित है किन्तु अधी0न्याया0 के द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व उक्त मौका रिपोर्ट को पत्रावली में शामिल नहीं किया गया है । बहस में आगे कथन किया कि ग्राम पंचायत भगवानपुरा द्वारा जारी प्रस्ताव में भी यह बताया गया है कि वादी को वर्किंग खसरा नंबर 449 का भाग रकबा 5 बीघा भूमि जो कि श्मशान की भूमि के पास ही नियमन की गई थी जिसके वर्तमान खसरा नंबर 527 है एवं इसी भूमि पर वादी का भौतिक कब्जा काश्त है । इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने वादी का वाद निरस्त करने में त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे तथा वादी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद डिक्री किया जावे ।

5. विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अधी0न्याया0 के समक्ष अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा कोई सूचना नहीं दी गई जिससे अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी नहीं हो सकी थी । सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 14.2.2020 को हुई जिस पर अपीलांट ने प्रमाणित प्रति हेतु दिनांक 14.2.2020 को ही आवेदन पत्र पेश किया जिस पर दिनांक 25.2.2020 को निर्णय की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने पर कानूनी सलाह लेकर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब उचित एवं सद्भाविक है । अतः विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

6. विद्वान राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने बहस में निवेदन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय एवं डिक्री विधिसम्मत् है । ग्राम

ताजपुरा के खसरा नंबर 449/1 में से 38 बीघा 13 बिस्वा भूमि जिला कलक्टर, अजमेर के आदेश क्रंमाक/कअ/राजस्व/एफ 12 (सी)/12/202 दिनांक 12.12.2012 द्वारा सिवायचक से चारागाह घोषित की गई है जो नियमानुसार सही है । अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों के परिपेक्ष्य में वाद को खारिज किया है जो विधिसम्मत् निर्णय है । अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे ।

7. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । विद्वान वकील अपीलांट ने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं संतोषप्रद प्रतीत होते है । हम न्यायहित मे अपीलांट को गुणावगुण पर सुना जाना उचित समझते है । अतः अपील में हुआ विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

8. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । ग्राम ताजपुरा, तहसील सरवाड़ के वर्किंग खसरा नंबर 449 मीन में से रकबा 5 बीघा भूमि वादी/अपीलांट के पक्ष में दिनांक 8.2.2008 को नियमन की गई तथा जमाबंदी संवत् 2067 से 2070 में अपीलांट की खातेदारी मे खसरा नंबर 449/4 रकबा 5 बीघा की खातेदारी दर्ज की गई । इसी अनुसार राजस्व नक्शे में भी तरमीम कर दी गई । अपीलांट ने कथन किया है कि अपीलांट को नियमनशुदा खसरा नंबर 449/4 ग्राम पंचायत के श्मशान के पास स्थित होकर नियमन दिनांक से अपीलांट का कब्जा चला आ रहा है परन्तु वर्तमान राजस्व जमाबंदी एवं नक्शे में खसरा नंबर 449/4 के नवीन खसरा नंबर 527 जो अपीलांट के नाम दर्ज होना चाहिये था किन्तु इसके स्थान पर खसरा नंबर 522/1028 चारागाह दर्ज कर दिया गया जो चारागाह भूमि होकर अन्य स्थान पर स्थित है । इस संबंध में दिनांक 11.12.2019 का पर्चा मौका रिपोर्ट की अप्रमाणित फोटो प्रति अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील के साथ पेश की है जो पत्रावली पर उपलब्ध है । अधी0न्याया0 की पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है । भू–अभिलेख निरीक्षक, भगवानपुरा का मौका पर्चा दिनांक 11.12.2019 के अनुसार वर्तमान खसरा नंबर 522/1028 रकबा 0.81 है0 पर वर्तमान में अपीलांट सांवरा पुत्र रामलाल के नाम गलत दर्ज कर रखी है जबकि वर्तमान में चारागाह भूमि के रूप में काम में ली जा रही है । सांवरा पुत्र रामलाल का कब्जा काश्त खसरा नंबर 527 रकबा 5 बीघा पर चला आ रहा है एवं खसरा नंबर 527 के पुराने खसरा नंबर 449/4 अपीलांट के नाम दर्ज है एवं राजस्व नक्शे में तरमीम कर रखी है एवं मौका पर्चा ग्राम पंचायत की अनापत्ति होना भी जाहिर किया है तथा वर्तमान जमाबंदी एवं नक्शा में दुरूस्ती किये जाने की अनुशंषा की गई है। अपीलांट को वर्किंग खसरा नंबर 449/4 रकबा 5 बीघा के वर्तमान खसरा नंबर 527 रकबा 0.81 है0 भूमि वादी/अपीलांट के नाम चारागाह के स्थान पर खातेदारी में दर्ज करनी चाहिये थी एवं खसरा नंबर 522/1028 से अपीलांट का नाम विलोपित कर चारागाह ग्राम पचांयत ताजपुरा दर्ज करना चाहिये था । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री निरस्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है।

9. अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़ द्वारा वाद संख्या 84/2019 में पारित निर्णय व डिक्री निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों के परिपेक्ष्य में वादी/अपीलांट को साक्ष्य एव सुनवाई का समुचित

अवसर प्रदान कर वाद को पुनः गुणावगुण पर निर्णित करे । अपीलांट द्वारा प्रस्तुत मौका पर्चा दिनांक 11.12.2019 भू–अभिलेख निरीक्षक, भगवानपुरा की फोटो प्रति अधी0न्याया0 की पत्रावली के साथ भिजवाई जावे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

10. निर्णय आज दिनांक 01.03.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,